

9/25

[Handwritten flourish]

पत्रावली पेश की। रुक रुक कर तीन
 बार आवाज दिलाई गई। न तो कभी
 उप. वृ न ही पक्षकारान। ऐसी स्थिति
 में न्यायालय उक्त पत्रावली को आगे
 जाँचकर रखना उचित नहीं समझी है।
 अतः न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को
 अक्षम हाजरी - अक्षम पत्रों में खारिज

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

किया जाता है। पत्रावली जैतल शुभा
दोकर नम्बर ले कम ही जाके। निर्णय
आज दिनांक 09-01-2025 को लटे -
इत लाम हुनापा गपा।

अंजना सहरावत
उपस्रण्ड अधिकारी
सांगरोल